

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर**एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 10350/2016**

भरत कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री देवा राम (सहायक-II), उम्र लगभग 22 वर्ष, जाति मेघवाल, निवासी गांव गोयली, तहसील एवं जिला सिरौही।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर प्रबंध निदेशक के माध्यम से।
2. सचिव (प्रशासन), राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर।
3. अधीक्षण अभियंता (टीसीसी-VIII) राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, सिरौही।
4. अधिशाषी अभियंता (200 केवी जीएसएस) राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, सिरौही।
5. कनिष्ठ अभियंता, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, बेलांगिरी, जिला सिरौही।
6. कार्मिक अधिकारी (टीसीसी-VIII) राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, सिरौही।

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता(गण) की ओर से	:	श्री प्रद्युम्न सिंह
प्रतिवादी(गण) की ओर से	:	श्री धनेश सारस्वत
		श्री विपुल धारणिया

माननीय श्रीमान न्यायाधीश अरुण मोंगा**आदेश (मौखिक)**

07/03/2025

1. यहाँ याचिकाकर्ता के साथ भाग्य बहुत क्रूर रहा है। जब पहली बार यह त्रासदी घटी, तब वह मात्र दो वर्ष का था। उसने अपने पिता को खो दिया, जो परिवार के एकमात्र कमाने वाले थे, और उसकी निरक्षर विधवा माँ ने उसका पालन-पोषण किया, जो अल्प पारिवारिक पेंशन पर गुज़ारा करने के लिए संघर्ष कर रही थी। त्रासदी फिर से तब घटी, जब उसके बड़े भाई, जो परिवार की आखिरी उम्मीद थे, की भी मृत्यु हो गई, जबकि अनुकंपा नियुक्ति के लिए उसका आवेदन अभी लंबित था। इन असहनीय क्षतियों के भार ने उसकी माँ के मानसिक संतुलन को तोड़ दिया। अब, निरंतर दुर्भाग्य के घावों के अलावा कुछ नहीं लेकर, वह इस न्यायालय के समक्ष दान नहीं, बल्कि न्याय की आशा में खड़ा है, ताकि प्रतिवादियों को निर्देश दिया जा सके कि वे उसके दुख को कम करें और उसे अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करें, जैसा कि एक कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर लागू नीति के अनुसार होता है।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं:-

2.1 याचिकाकर्ता के पिता का, प्रतिवादी-राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (संक्षेप में 'निगम') में सहायक-II के रूप में कार्यरत रहते हुए, 22.08.1997 को निधन हो गया। उनकी मृत्यु के तुरंत बाद, उनकी विधवा श्रीमती अंशु ने आवश्यक दस्तावेजों के साथ दिनांक 29.08.1997 को एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी बताया गया था कि चूँकि वे निरक्षर हैं, इसलिए उनके पुत्रों (क्रमशः 7 वर्ष और 2 वर्ष की आयु) में से किसी एक को वयस्क होने पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाए।

2.2. वयस्क होने पर, कमलेश कुमार (याचिकाकर्ता के बड़े भाई) ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रतिवादियों से संपर्क किया। लगातार अनुनय-विनय के बाद, अंततः

प्रतिवादियों ने दिनांक 11.01.2012 (अनुलग्नक-पी/2) के पत्र द्वारा याचिकाकर्ता के भाई के मामले पर कार्यवाही की। इसके बाद, याचिकाकर्ता के बड़े भाई का आवेदन एक मेज से दूसरी मेज पर जाता रहा, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। दुर्भाग्य से, याचिकाकर्ता के भाई की भी 22.06.2015 को असामयिक मृत्यु हो गई।

2.3. इसके बाद याचिकाकर्ता ने दिनांक 06.07.2015 को प्रतिवादियों को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने अपने बड़े भाई की मृत्यु की सूचना दी और इसलिए उन्हें अनुकंपा नियुक्ति के आधार पर नियुक्त करने की बात कही। हालाँकि, कानूनी नोटिस के बावजूद याचिकाकर्ता की कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए, यह याचिका।

3. प्रतिवादी निगम ने अपने जवाब में यह रख अपनाया है कि राजस्थान मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति नियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार, जीवित पति या पत्नी को कर्मचारी की मृत्यु की तिथि से क्रमशः 45/90 दिनों की अवधि के भीतर स्वयं या किसी अन्य आश्रित की नियुक्ति के लिए आवेदन करना चाहिए था। वर्तमान मामले में, न तो जीवित पति या पत्नी, यानी विधवा ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया और न ही निर्धारित समय सीमा में वयस्कता की आयु प्राप्त करने पर नाबालिग आश्रित की समय पर सूचना दी गई। अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि बड़ा बेटा 07.04.2008 को वयस्क हुआ। अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन वर्ष 2012 में प्राप्त हुआ, यानी लगभग साढ़े तीन साल की देरी के बाद। इसलिए, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने के लिए इसे विलंबित पाया गया। उक्त निर्णय 13.07.2015 के पत्र द्वारा सूचित किया गया। इसी प्रकार, वर्तमान याचिकाकर्ता का आवेदन भी समय से वर्जित पाया गया, जिस पर निर्णय दिनांक 15.02.2016 (अनुलग्नक आर /6) के माध्यम से सूचित किया गया।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिवादी पक्ष की दलीलें सुनी हैं और प्रकरण पत्रावली का अवलोकन किया है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता का परिवार आदिवासी क्षेत्र में रहता है और जीवित रहने के लिए परिवार अल्प पारिवारिक पेंशन पर निर्भर है, जो विधवा मां को दी जाती थी। उन्होंने आगे बताया कि याचिकाकर्ता या उनके भाई, क्योंकि वे दूरदराज के आदिवासी क्षेत्र में रहते थे, 90 दिनों के भीतर आवेदन दायर करने के बारे में अनभिज्ञ थे और उन्हें विश्वास था कि याचिकाकर्ता के बड़े भाई की शिक्षा पूरी होने पर, प्रतिवादियों से संपर्क करने पर उन्हें नियम 10 के अनुसार अनुकूल उपचार मिलेगा। इन परिस्थितियों में 3 साल 6 महीने की देरी हुई और याचिकाकर्ता के बड़े भाई ने शिक्षा पूरी करते ही अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया। उन्होंने तर्क दिया कि उपरोक्त नियम 10 के प्रावधान में भी स्पष्ट रूप से परिकल्पना की गई है कि असाधारण मामलों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय सीमा को माफ किया जा सकता है।

6. इस मामले में, उन्होंने कहा कि विधवा मां को मिलने वाली अल्प पारिवारिक पेंशन से न केवल पूरा परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, बल्कि उन्हें गरीबी में जीवन यापन करना पड़ रहा था और याचिकाकर्ता के बड़े भाई को अपने छात्र जीवन के दिनों में भी मुश्किल से अपनी डिग्री का इंतजार करना पड़ा ताकि वे इसका लाभ उठा सकें जिसके बाद उन्हें बताया गया कि उनके आवेदन की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि बड़े भाई की मृत्यु के बाद, याचिकाकर्ता परिवार का एकमात्र जीवित पुरुष सदस्य है और उसे अपनी विधवा मां की देखभाल करनी पड़ती है और पारिवारिक पेंशन में से दो सदस्य अतिरिक्त खर्च, जो याचिकाकर्ता को अपनी मां के इलाज पर वहन करना पड़ता है जिन्होंने अपने पति और उसके बाद 22 साल की छोटी

उम्र में बड़े बेटे को खो दिया है और वह शारीरिक और मानसिक दोनों बीमारियों से पीड़ित हैं, के कारण जीवनयापन में असमर्थ हैं।

7. न्यायालय द्वारा यह पूछे जाने पर कि वह कैसे यह तर्क दे सकते हैं कि मां मानसिक बीमारी से पीड़ित है, सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता की मां का उपरोक्त चिकित्सकीय अभिलेख इस तथ्य के समर्थन में प्रस्तुत किया कि वह वर्तमान में मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और अपने पति और बड़े बेटे की मृत्यु के कारण गंभीर अवसाद में है।

8. इसके विपरीत, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने **पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य बनाम निरवल सिंह [(2019) 6 एससीसी 774]** और **टिकू बनाम हरियाणा राज्य [2024 आईएनएससी 867]** के मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर निर्भरता प्रकट की है। उनका तर्क है कि तीन साल की अवधि के बाद निवारण के लिए अदालतों का रुख करने में देरी घातक है। परिवार को तत्काल राहत प्रदान करने का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। उनका तर्क है कि किसी भी स्थिति में, यह कोई निहित अधिकार नहीं, बल्कि नियोक्ता का विवेकाधिकार है।

9. अब मैं आगे कारण दर्ज करते हुए अपनी राय प्रस्तुत करूँगा। सबसे पहले, दिनांक 15.02.2016 (अनुलग्नक R /6) का आक्षेपित आदेश देखा जा सकता है, जिसके तहत याचिकाकर्ता का आवेदन अस्वीकार कर दिया गया था। इसका अनुवादित संस्करण निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

**"राजस्थान राज्य विद्युत पारेषण
कॉर्पोरेशन लिमिटेड
विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर**

क्रमांक आरवीपीएन/ कार्मिक/ अनुकंपा/ पी.540/469 जयपुर 15.02.2016

तकनीकी सहायक-माननीय राज्य मंत्री,

ऊर्जा विभाग,

राजस्थान सरकार,

जयपुर.

विषय :- श्री भरत कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री देवाराम मेघवाल की अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में।

संदर्भ :- आपके कार्यालय पत्र संख्या 4838 दिनांक 06.10.2015 के अनुक्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय-वस्तु एवं संदर्भित पत्र के संबंध में अनुरोध है कि अधीक्षण अभियंता (टीसीसी-VIII) आरआरवीपीएनएल, सिरौही ने श्री भरत कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री देवाराम का आवेदन पत्र अग्रेषित किया था, पत्र संख्या 1350 दिनांक 11.08.2015 द्वारा।

इस संबंध में, यह बताया गया है कि श्री देवाराम का निधन 22.08.1997 को हुआ था। वे अधिशाषी अभियंता (220 केवी जीएसएस), आरआरवीपीएनएल, सिरौही के कार्यालय में सहायक-II के पद पर कार्यरत थे। मृतक की पत्नी श्रीमती अंशु देवी ने अपने बड़े पुत्र श्री कमलेश कुमार की अनुकंपा नियुक्ति हेतु 11.01.2012 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। उस समय श्री कमलेश कुमार की आयु 21 वर्ष थी। श्री कमलेश कुमार की जन्मतिथि 08.04.1990 के अनुसार, उनकी आयु 07.04.2008 को 18 वर्ष (वयस्कता) हो गई थी।

अतः उन्हें उक्त तिथि के पश्चात् 90 दिनों के भीतर (दिनांक 06.07.2008 तक) नौकरी हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए था, किन्तु आवेदक ने लगभग 03 वर्ष 06 माह 06 दिन पश्चात् आवेदन प्रस्तुत किया तथा विलम्ब से आवेदन प्रस्तुत करने का कोई उचित कारण भी प्रस्तुत नहीं किया। अतः श्री कमलेश कुमार के अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन पर विचार नहीं किया गया। जिसकी सूचना आपको पत्र क्रमांक 347 दिनांक 13.07.2015 के माध्यम से प्रेषित कर दी गई है।

तत्पश्चात्, अधीक्षण अभियंता (टीसीसी-VIII), आरआरवी पीएनएल, सिरौही ने श्री कमलेश कुमार के छोटे भाई, श्री भरत कुमार का अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण अग्रेषित करते हुए सूचित किया कि श्री

कमलेश कुमार का देहांत 22.06.2015 को हो गया था। चूँकि श्री कमलेश कुमार का प्रकरण 3 वर्ष, 6 माह और 6 दिन की देरी से प्रस्तुत किया गया था, अतः उसे अस्वीकृत कर दिया गया था, अतः उनके छोटे भाई, श्री भरत कुमार द्वारा उनकी मृत्यु के पश्चात प्रस्तुत आवेदन पर भी विचार नहीं किया गया।

तथ्यात्मक स्थिति आपकी जानकारी के लिए प्रेषित की जाती है।

सादर

पुखराज सेन

सचिव (प्रशासन)"

9.1 आगे बढ़ने से पहले, आइए नियमों के प्रासंगिक खंड, यानी राजस्थान मृतक सरकारी सेवकों के आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति नियम, 1996, को देखें, जो याचिकाकर्ता के मामले में लागू था। इसका नियम 10 इस प्रकार है:-

10. प्रक्रिया.

(1) सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर जीवित पति/पत्नी स्वयं या किसी अन्य आश्रित के लिए नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकेंगे।

(2) जहाँ मृतक सरकारी सेवक के पति/पत्नी जीवित नहीं हैं, वहाँ मृतक सरकारी सेवक के आश्रितों में से किसी एक द्वारा आवेदन किया जाएगा और अन्य आश्रितों को उसकी उम्मीदवारी के लिए अपनी सहमति देनी होगी।

परन्तु यदि एक से अधिक आश्रित रोजगार चाहते हैं, तो विभागाध्यक्ष पूरे परिवार, विशेषकर नाबालिग सदस्यों के समग्र हित और कल्याण को ध्यान में रखते हुए, किसी एक का चयन करेगा।

(3) ऐसा आवेदन, अनुलग्नक-ए के रूप में संलग्न प्रपत्र में, सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर कार्यालय/विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदक को निर्धारित आवेदन के कॉलम 7 में उल्लिखित समस्त पारिवारिक सदस्यों की मासिक आय (सभी स्रोतों से) के समर्थन में एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। बशर्ते कि जहाँ पति/पत्नी स्वयं नियुक्ति नहीं चाहते हैं और शेष आश्रितों में सबसे बड़े ने भी 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है (इस आशय की सूचना सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के तीन माह के भीतर

लिखित रूप में दी जानी है), तो उपरोक्त परिसीमा अवधि ऐसे सबसे बड़े आश्रित द्वारा 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तिथि से लागू होगी।

बशर्ते कि किसी अपवादात्मक मामले में, जहां कार्मिक विभाग में राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट है कि इस उप-नियम के प्रावधानों के संचालन से मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार को वित्तीय कठिनाई होती है और वह इस उप-नियम के प्रावधानों को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन शिथिल करना आवश्यक या समीचीन समझती है, जैसा कि वह मामले को न्यायसंगत और समतापूर्ण तरीके से निपटाने के लिए आवश्यक समझे।”

(जोर दिया गया)

9.2 नियम 10(3) के आलोक में, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि नाबालिगों के मामले में, अनुकंपा नियुक्ति के लिए उनके आवेदन पर, वयस्क होने पर, प्रासंगिक समय पर विचार किया जाना था। याचिकाकर्ता का बड़ा भाई, 18 वर्ष का होने पर, एक छात्र था और आईटीआई पाठ्यक्रम में अध्ययन कर रहा था, जिसकी दुर्भाग्यवश अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन के लंबित रहने के दौरान 22.06.2015 को मृत्यु हो गई।

10. अस्वीकृति आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता का आवेदन इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया गया है कि उसका भाई आवेदन करते समय नाबालिग था। इसे इस आधार पर खारिज किया गया कि वयस्क होने पर उसे 90 दिनों के भीतर आवेदन करना चाहिए था, जबकि उसने 3 वर्ष और 6 महीने की देरी की थी और इस प्रकार, उसका आवेदन समयबाधित पाया गया।

11. स्वीकृत स्थिति यह है कि कर्मचारी की मृत्यु 22.08.1997 को हुई थी और प्रासंगिक समय पर याचिकाकर्ता का बड़ा भाई सात वर्ष का था और याचिकाकर्ता दो वर्ष का था।

12. कुछ इसी तरह की परिस्थितियों में, इस न्यायालय ने **श्रीमती माया एल. डिंगरानी बनाम यूको बैंक [2002 (2) आरएलआर 74]** के मामले में, इस न्यायालय की ओर से बोलते हुए, जे.सी. वर्मा, जे. (जैसा कि वह तब थे), ने निम्नलिखित अवलोकन किया और निर्णय दिया:

"(7) मृतक के सदस्यों को योजना के अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करने के अपने किसी भी अधिकार के बारे में सामान्यतः तब तक पता नहीं चलता जब तक उन्हें इसकी सूचना न दी जाए और इसलिए, यह उचित है कि आश्रितों को सेवा लाभ प्रदान करते समय, नियोक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह आश्रित को भी उसके आवेदन करने के अधिकार के बारे में सूचित करे, यदि परिस्थितियाँ उसे अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए बाध्य करती हैं। ऐसे आश्रितों को सूचना दिए जाने की ऐसी आकस्मिकता पर, नियोक्ता यह कहने का हकदार है कि उसने आश्रित या कानूनी उत्तराधिकारी को अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करने के नियमों और अधिकार के अस्तित्व की जानकारी दी थी, लेकिन ऐसी जानकारी ऐसे आश्रितों को देने के अभाव में, आश्रितों के लिए समयबद्ध खंड का आह्वान नहीं किया जा सकता क्योंकि आश्रितों को संस्था के नियमों की जानकारी नहीं हो सकती है या जहाँ बैंक की योजना के नियमों की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कर्मचारी के जीवनकाल में ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती या उत्पन्न नहीं हुई होगी। यह उचित होगा कि संस्था प्रतिवादी को ऐसे कर्मचारी की मृत्यु के बाद लाभ प्राप्त करने वाले आश्रितों या कानूनी उत्तराधिकारियों को योजना के अस्तित्व की सूचना अवश्य देनी चाहिए। वर्तमान मामले में प्रतिवादी बैंक की कार्रवाई इन तथ्यों के मद्देनजर कायम नहीं रह सकती कि याचिकाकर्ता संख्या 2, 12 वर्ष की नाबालिग थी और वह वयस्क होने के बाद ही अनुकंपा के आधार पर आवेदन कर सकती थी, जैसा कि याचिकाकर्ता संख्या 2 ने किया था और वयस्क होने के बाद, आवेदन समय के भीतर माना जाता है और इस कारण से इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता था।"

13. मैं उपरोक्त विचार से सहमत हूँ। निस्संदेह, उपरोक्त विचार को किसी मामले में लागू नहीं किया जा सकता और यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। हालाँकि, वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों को देखते हुए, मेरा मानना

है कि याचिकाकर्ता अनुकम्पा का पात्र है और उसके मामले को यहाँ विधायी रूप से अपेक्षित उदारता के अनुसार लागू नियमों के निर्माण के आधार पर निपटाया जाना चाहिए था।

14. अनुकम्पा नियुक्ति का उद्देश्य मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार को तत्काल राहत प्रदान करना है, ताकि कमाने वाले के नुकसान से उत्पन्न वित्तीय संकट को कम किया जा सके। इस मामले में, 1997 में पिता की मृत्यु के बाद से, परिवार पूरी तरह से अल्प पारिवारिक पेंशन पर निर्भर रहा है, जो उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। इस प्रकार अनवरत जारी गरीबी और विपत्ति इसके निवारण की मांग करती है। याचिकाकर्ता की मां निरक्षर हैं और वर्तमान में शारीरिक और मानसिक दोनों बीमारियों से पीड़ित हैं, जिससे वह परिवार का भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं। याचिकाकर्ता, 2015 में अपने बड़े भाई कमलेश कुमार की मृत्यु के बाद एकमात्र जीवित पुरुष सदस्य के रूप में, अब एकमात्र संभावित कमाने वाला है। अनुकम्पा नियुक्ति से इनकार करने से परिवार की वित्तीय कठिनाई बनी रहेगी, जो योजना के परोपकारी उद्देश्य को विफल कर देगी।

15. 1996 के नियमों का नियम 10(3) कर्मचारी की मृत्यु के समय नाबालिग आश्रितों को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के तीन महीने के भीतर अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है। अपने पिता की मृत्यु के समय, याचिकाकर्ता 2 वर्ष का था और उसका बड़ा भाई 7 वर्ष का था, जो स्पष्ट रूप से उन्हें इस प्रावधान के हकदार नाबालिगों के रूप में योग्य बनाता है।

असाधारण मामलों में छूट: नियम 10(3) का प्रावधान राज्य सरकार को असाधारण मामलों में समय सीमा में छूट देने की स्पष्ट रूप से अनुमति देता है, जहाँ सख्त पालन से परिवार को वित्तीय कठिनाई होगी। परिवार का लंबे समय से चल रहा वित्तीय संकट,

माँ का बिगड़ता स्वास्थ्य, और बड़े भाई की मृत्यु, जबकि उनका आवेदन लंबित था, असाधारण परिस्थितियाँ हैं जो समय सीमा में छूट को उचित ठहराती हैं।

16. आवेदन दाखिल करने में देरी के कारणों की ओर ध्यान दिलाना—जो कि बड़े भाई के 2008 में वयस्क होने के लगभग साढ़े तीन साल बाद हुआ—जानबूझकर नहीं किया गया था। परिवार एक सुदूर आदिवासी इलाके में रहता है, उसे सटीक प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं की जानकारी नहीं थी, और वयस्क होने के बाद की 90 दिनों की समय-सीमा की भी उसे पूरी जानकारी नहीं थी। उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि और सूचना तक सीमित पहुँच को देखते हुए यह अज्ञानता वाजिब है। बहरहाल, बड़े भाई का आवेदन भी मरणोपरांत अस्वीकार कर दिया गया।

16.1. परिवार ने उचित उम्मीद के साथ, 2012 में आवेदन करने से पहले कमलेश कुमार की शिक्षा (आईटीआई कोर्स) पूरी होने का इंतज़ार किया, यह मानते हुए कि इससे उनकी पात्रता मज़बूत होगी। यह देरी लापरवाही के बजाय एक व्यावहारिक दृष्टिकोण को दर्शाती है, क्योंकि शिक्षा रोज़गार हासिल करने की दिशा में एक वैध कदम है। श्रीमती माया एल. डिंगरानी बनाम यूको बैंक [2002 (2) आरएलआर 74] में, इस न्यायालय ने माना कि नियोक्ताओं का कर्तव्य है कि वे आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति योजनाओं के तहत उनके अधिकारों के बारे में सूचित करें, खासकर जब आश्रित नाबालिग हों या प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं से अनभिज्ञ हों। न्यायालय ने आगे यह भी निर्णय दिया कि यदि नियोक्ता ऐसी जानकारी प्रदान करने में विफल रहता है, तो वयस्क होने के बाद दायर नाबालिगों के आवेदनों को केवल देरी के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

16.2. ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे पता चले कि निगम ने श्रीमती अंशु या उनके बेटों को विशिष्ट समय-सीमा या वयस्क होने के 90 दिनों के भीतर आवेदन करने की

आवश्यकता के बारे में सूचित किया था। माँ की निरक्षरता और परिवार के दूरस्थ स्थान को देखते हुए, निगम द्वारा इन आवश्यकताओं की जानकारी न देना देरी को क्षमा करने के पक्ष में भार डालता है।

17. परिवार को राहत प्रदान करने का उद्देश्य केवल देरी के कारण समाप्त नहीं हो जाता। यदि परिवार पूरी अवधि के दौरान संकट में रहा, तो सुधार की आवश्यकता और भी अधिक बढ़ जाती है, और राज्य का कर्तव्य है कि वह प्रक्रियागत देरी के लिए दंड देने के बजाय न्याय सुनिश्चित करे।

17.1. 2015 में कमलेश कुमार की मृत्यु के बाद, याचिकाकर्ता ने पात्र आश्रित बनते ही 6 जुलाई, 2015 को तत्परतापूर्वक अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।

18. मेरा मानना है कि दो कमाने वालों की जटिल पारिवारिक त्रासदी को देखते हुए, कुछ असाधारण परिस्थितियाँ राहत की माँग करती हैं। 2015 में बड़े भाई की मृत्यु, जबकि उनका आवेदन अभी भी लंबित था, और उसके बाद माँ की शारीरिक और मानसिक स्थिति (सुनवाई के दौरान प्रस्तुत चिकित्सकीय अभिलेख से प्रमाणित) ने परिवार की दुर्दशा को और बढ़ा दिया। माँ के काम करने में असमर्थ होने और पारिवारिक पेंशन अपर्याप्त होने के कारण—विशेषकर अतिरिक्त चिकित्सा व्यय को देखते हुए—याचिकाकर्ता की नियुक्ति परिवार के अस्तित्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

19. निगम का अस्वीकृति पत्र (अनुलग्नक आर/6, दिनांक 15 फ़रवरी, 2016) मुख्य रूप से कमलेश कुमार के आवेदन (जो 2012 में दायर किया गया था, 2008 में उनके 18 वर्ष के होने के तीन साल बाद) में हुई देरी पर आधारित है और याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज करने के लिए इसी तर्क का उपयोग करता है। हालाँकि, यह दृष्टिकोण याचिकाकर्ता की अपने भाई की मृत्यु के बाद अगले जीवित आश्रित के रूप में स्वतंत्र पात्रता की अनदेखी करता है। कमलेश कुमार की मृत्यु के बाद हुए दुर्भाग्य और आगे की

पारिवारिक विपत्ति के बावजूद, निगम ने याचिकाकर्ता के आवेदन का नए सिरे से मूल्यांकन नहीं किया। 2015 में याचिकाकर्ता के शीघ्र प्रतिनिधित्व पर उसके अपने गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाना चाहिए था, न कि उसके भाई के मामले के आधार पर उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया जाना चाहिए था।

20. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने समय सीमा पर ज़ोर देने के लिए पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड बनाम निरवल सिंह मामले का हवाला दिया। हालाँकि, निरवल सिंह मामले में, देरी सात साल की थी, और इस दौरान नीति बदल गई थी, जिससे आवेदक नए नियमों के तहत अयोग्य हो गया। यहाँ, पात्रता को प्रभावित करने वाले किसी भी मूलभूत परिवर्तन के बिना, 1996 के नियम लागू रहेंगे। इसी प्रकार, टिंकू बनाम हरियाणा राज्य मामले में भी; एक बार फिर, समय सीमा को बरकरार रखने के प्रस्ताव पर कोई बहस नहीं है, हालाँकि, इसे तथ्यात्मक रूप से देखा जाना चाहिए। यहाँ असाधारण परिस्थितियाँ - आदिवासी निवास, नियमों की अज्ञानता, बड़े भाई की मृत्यु और माँ का स्वास्थ्य - इस मामले को अलग करती हैं, जो नियम 10(3) के प्रावधान के तहत उदार दृष्टिकोण को उचित ठहराती हैं।

21. तदनुसार, उक्त नियम 10 के प्रावधान को लागू करते हुए, अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन करने में याचिकाकर्ता द्वारा की गई देरी को क्षमा किया जाता है। मामला प्रतिवादियों के सक्षम प्राधिकारी को वापस भेजा जाता है, जो आवेदन दाखिल करने में हुई देरी से प्रभावित हुए बिना, और याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु के समय लागू नियमों और नीति के अनुसार, याचिकाकर्ता के मामले का गुण-दोष के आधार पर निर्णय करेंगे।

22. तत्काल आदेश की वेब-प्रति के साथ याचिकाकर्ता के संपर्क करने पर दो महीने की अवधि के भीतर आवश्यक कार्य किया जाना चाहिए।

23. रिट याचिका तदनुसार निस्तारित की जाती है।
24. सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का भी निस्तारण होगा।

(अरुण मोंगा).जे

115-एसपी/ एसकेएम /-

क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है : हाँ / नहीं

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है. एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी